

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

रैफरेस संख्या 68/2018

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रुपवास जिला भरतपुर

....प्रार्थी

बनाम

1. हुकमसिंह } पिसरान झम्मन कौम जाटव निवासी सिरसौदा मजरा रुपवास
2. मुरारीलाल } तहसील रुपवास (भरतपुर)
3. भगवानदास पुत्र संतोकी } कौम जाटव निवासी सिरसौदा मजरा रुपवास
4. लाखन पुत्र विपती } तहसील रुपवास (भरतपुर)
5. कंचन पत्नी विपती }
6. किरनदेई पत्नी नेता कौम जाटव निवासी समाहद तहसील रुपवास (भरतपुर)
7. टेकचन्द पुत्र गिराजप्रसाद कौम कोली निवासी रुपवास तहसील रुपवास (भरतपुर)

.....अप्रार्थीगण

रैफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आराजी खसरा नम्बर 1914/1012/1 रकवा 3.03 वीघा के विरुद्ध बिना आंबटन के दर्ज गैर खातेदारी/खातेदारी को निरस्त कर सिवायचक दर्ज करने बाबत।

उपस्थित:-

- 1-राजकीय अभिभाषक प्रार्थी,
- 2-श्री प्रमोद कुमार उपमन,अभिभाषक अप्रार्थी0

निर्णय

दिनांक:- 28.10.2021

प्रार्थी तहसीलदार रुपवास ने यह रेफरेन्स एल.आर.एक्ट की धारा 82 के तहत अप्रार्थीगण के खिलाफ इस आशय का पेश किया गया है, जो संक्षेप में इस

प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 1914/1012/1 रकवा 3.03 किस्म गैर कदीम तहसील रुपवास में स्थित है। उक्त आराजी राजकीय खाते में सिवायचक-कदीम गैर मुमकिन (मकबूजा सरकार चारागाह) के रूप में दर्ज रिकार्ड रही है। राजस्व रिकार्ड की खसरा टीप संवत 2005-2008 में खसरा नम्बर 1012/12-04 कदीम के रूप में दर्ज है। जो मौके पर चारागाह के रूप में खाली रहा है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 1914/1012/1 रकवा 3.03 किस्म कदीम भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 के पूर्वज हटीला पुत्र खचेरा बिना किसी आबंटन के हुक्मन नामान्तकरण संख्या 261 से जमाबंदी संवत् 2020-2023 में खाता संख्या 353 में खातेदार दर्ज रिकार्ड हुआ। इसके बाद जरिए विरासत नामान्तरकरण संख्या 1538, 1600 से अप्रार्थीगण 1 लगा. 5 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हुए हैं। उक्त विवादित आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में वर्णित भूमियों में आती है, जिसका नियमन नहीं किया जा सकता है और उस विनियमन व खातेदारी अधिकार देना विधि विरुद्ध है। उक्त भूमि पर खातेदारी प्रभाव शून्य है। उक्त भूमि पर दर्ज निजी खातेदारी माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा डी.बी.सिविल रिट पिटिसन न. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार वगैरा के तहत जारी आदेश 02-08-2004 में दिए निर्देशों के अनुसार निरस्त की जाकर राजकीय स्वामित्व के सिवायचक खाते में दजे करने योग्य है। माननीय लोकायुक्त प्रमुख सचिव, जयपुर राजस्थान के लोकायुक्त प्रकरण क्रमांक 11(151)लो.आ.सं./ 2013/15899 दिनांक 20.02.2014 तथा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में पेश जनहित याचिका डी.बी. सिविल रिट पिटिसन नं. 14757/2017, पुरुषोत्तम बनाम राज्य सरकार वगैरा के तहत जारी आदेश दिनांक 27.11.2017 में दिये निर्देशों की अनुपालना में रैफरेस प्रकरण प्रेषित है। प्रार्थी तहसीलदार ने अन्त में निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1914/1012/1 रकवा 3.03 बीधा किस्म कदीम पर दर्ज हुक्मन खातेदारी तथा इसके प्रभाव में किए गए समस्त नामान्तकरण संख्या 261, 1326, 1600, 1782, 2430, 2910, 2982, 3194 आदि को निरस्त फरमाये जाने तथा भूमि को पूर्व की भांति खाता

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

संख्या 01 में दर्ज कराये जाने हेतु रेफरेन्स स्वीकार स्वीकार किये जाने हेतु प्रार्थना की गई है।

रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। तहसीलदार रुपवास से विवादित आराजी की मौका रिपोर्ट तलब की गई, प्राप्त मौका रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थीगण की ओर से जबाब पेश किया गया जो शामिल मिसिल किया गया। उभय पक्ष अभिभाषण की बहस सुनी गई। अप्रार्थीगण की ओर से लिखित बहस भी पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

प्रार्थी की ओर से राजकीय अभिषक ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि विवादित आराजी गैर मुमकिन रास्ता है, ऐसी भूमियां धारा 16 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत प्रतिबिन्धत श्रेणी में आती हैं। जिस पर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते हैं। बिना किसी सक्षम न्यायालय के अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार गलत तरीके से दे दिये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा डी.बी. सिविल रिट पिटिसन न. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार वगैरा के तहत जारी आदेश की पालना में रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को उक्त आराजी पर गैर मुमकिन पर दर्ज हुक्मन खातेदारी तथा इसके प्रभाव में किए गए समस्त नामान्तकरण संख्या 261, 1326, 1600, 1782, 2430, 2910, 2982, 3194 आदि को निरस्त फरमाये जाने तथा भूमि को पूर्व की भांति खाता संख्या 01 में दर्ज कराये जाने हेतु रेफरेन्स प्रेषित किये जाने हेतु प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में जाहिर किया कि विवादित आराजी कभी चारागाह नहीं रही है और नाहीं रास्ता रहा है। सम्वत् 2012 से पूर्व से ही काश्त करते चले आ रहे हैं। विवादित आराजी आबादी में आ चुकी है और आबादी के रुप में काम में आ रही है। अप्रार्थी के पति व पिता शिवचरन के हक में कृषि से भिन्न प्रयोजन हेतु अर्थात मकान बनाने हेतु पट्टा सनद मय नक्शा

Am
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

तहसीलदार रुपवास क्षरा दिनांक 17.07.2004 को दिया गया है। जिसके आधार पर अप्रार्थी मकान बनाकर रिहायश कर रहे हैं। योग्य अभिभाषक का यह भी कहना है कि तहसीलदार ने भी अपनी मौका रिपोर्ट में विवादित आराजी पर मकान बनाकर रिहायस करना एवं उक्त आराजी आबादी क्षेत्र में आना बताया है। आराजी आबादी में आ जाने से छोटे छोटे भूखण्डों के रूप में मकानात का निर्माण हो चुका है जिनमें लोग रिहायस कर रहे हैं। अब्दुल बनाम रहमान का जिस प्रकार उल्लेख किया गया है वह गलत है क्यों कि विवादित आराजी कोई जल बहाव क्षेत्र नदी, नाले तालाब वगैरे के रूप में नहीं है और नहीं कोई रुकावट है। रेफरेन्स में वर्णित आराजी जल बहाव क्षेत्र से भिन्न है। धारा 16 आर.टी.एक्ट प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों से बाहर है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.आर. टी. 2017(2) पेज 1136, आर.आर.टी. 2017(1) पेज 73, 577, 182 व 310 उद्धरत करते हुये रेफरेन्स को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर मनन किया। अप्रार्थीगण की ओर प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 1914/1012/1 रकवा 3.03 किस्म गैर मुमकिन तहसील रुपवास को आर.टी.एक्ट की धारा 16 के तहत श्रेणीयों में आना का उल्लेख किया है तथा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा डी.बी.सिविल रिट पिटिसन न. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार वगैरा के तहत जारी आदेश का हवाला देते हुये प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी पर हो रहे अप्रार्थीगण खातेदारी इन्द्राज को निरस्त कर वापिस पूर्व की भांति हो रहे इन्द्राज को बहाल करने की प्रार्थना की गई है। प्रकरण

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

1- आया विवादित आराजी आर.टी.एक्ट की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित श्रेणीयों की भूमि में आती है?

2- क्या विवादित आराजी कोई जल बहाव क्षेत्र, नदी, नाले तालाब वगैरे के रूप में तो नहीं है। आया पानी बहाव क्षेत्र में रुकावट तो नहीं है?

1- पत्रावली में उपलब्ध खसरा टीप संवत 2005-2008 में खसरा नम्बर 1012 रकवा 12-04 बीघा कदीम दर्ज है। विवादित आराजी का रकवा काफी बड़ा है। विवादित आराजी की किस्म भूमि कदीम दर्ज है, भूमिधारी तहसीलदार ने भी अपने प्रार्थना पत्र रेफरेन्स में भी विवादित आराजी कि किस्म कदीम होने का उल्लेख किया है। जमाबन्दी सम्वत् 2016 के कॉलम नम्बर 5 में हरमुख व वाले पिसरान मुरली वहिस्सा बराबरकौम काछी सा.देह गैर खातेदार खसरा नम्बर 1012 रकवा 5 वीघा 4 बिस्वा का इन्द्राज है एवं भूमि की किस्म कदीम दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2020-2023 में विवादित आराजी पर हटीला पुत्र खचेरा कौम जाटव सा.देह खातेदार दर्ज है। जमाबन्दी कॉलम नम्बर 16 में अंकित नोट से स्पष्ट है कि हटीला के फोट होने के बाद विरासत का नामान्तरकरण संख्या 261 से उनके वारिसान के नाम अंकित किये गये हैं। जमाबन्दी संवत 2045-2048 में आराजी खसरा नम्बर 1012 रकवा 5 वीघा 4 विस्वा पर मु. मुनिया वेवा हटीला 1/3 व संतोकी पुत्र हटीला 1/3 व लाखन पुत्र विपति व कंचन वेवा विपति बहिस्सा बराबर कौम चमार सा.देह खातेदार है एवं भूमि की किस्म कदीम दर्ज है। तहसीलदार रुपवास से प्राप्त मौका रिपोर्ट में विवादित आराजी को आबादी में आना तथा पक्के मकानात बनाकर रिहायस होना बताया है। अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत फोटो प्रति कनवर्जन आदेश जो तहसीलदार रुपवास ने दिनांक 04.03.2006 को अप्रार्थीगण लाखन पुत्र विपती, कंचन वेवा विपती, भगवानदास पुत्र संतोकी, हुकमसिंह व मुरारी पिसरान झम्मन जाटव निवासी सिरसौदा तहसील रुपवास के हक जारी की है का अवलोकन किया गया, यह कनवर्जन आदेश के अवलोकन से जाहिर है कि आराजी खसरा नम्बर 1012 रकवा 3.03 वीघा (792.93 वर्ग मीटर) का प्रमीयम व शास्ति लेकर जारी किये जाने का उल्लेख है, यह सनद कृषि भूमि से भिन्न प्रयोजन के उपयोग के लिये अनुमति

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)


की नहीं है। इससे यह तो निर्विवाद है कि विवादित आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में नहीं आती है।

2- प्रथम बिन्दू में उल्लेखित रिकार्ड एवं मौका रिपोर्ट तहसीलदार रुपवास से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी कोई जल बहाव क्षेत्र, नदी, नाले तालाब वगैरे के रूप में नहीं है। विवादित आराजी की किस्म कदीम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी तहसीलदार का यह कहना विवादित आराजी आर.टी.एक्ट धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित श्रेणियों की भूमि में आती है तथा रिट पिटिशन अब्दुल रहमान बनाम सरकार का उल्लेख करते हुये यह कथन करना कि विवादित आराजी जल बहाव क्षेत्र, नदी, नाले तालाब वगैरे के रूप में है स्वीकार योग्य नहीं है। अस्तु प्रार्थना पत्र रेफरेन्स अस्वीकार किये जाने योग्य पाते हैं।

अतः आदेश है कि -

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र रेफरेन्स खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को लिखा जाकर सुनाया गया।


(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)